समयबद्ध/अतिशीघ्र/ई–मेल

संख्या : समिति–02 /आठ–5–2023–85विविध/2003

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
आवास एवं विकास परिषद्
उ0प्र0।

2–उपाध्यक्ष/अध्यक्ष
समस्त विकास प्राधिकरण/
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

3– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उ0प्र0।

4–निदेशक,
नगर भूमि सीमारोपण विभाग,
उ0प्र0।

5–सदस्य सचिव,
स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं,
पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन,
सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 **लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2023**

विषय : **उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति द्वारा वांछित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी अद्यतन स्थिति अनुसार आरक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में उप सचिव, समिति (सामान्य) अनुभाग–1 के अर्द्धशा0 प0सं0–427/03/(अ0जा0)/1991, दिनांक 13.07.2023 (प्रति संलग्न) का का संलग्नकों सहित कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विभाग के नियंत्राणाधीन समस्त कार्यालयों (यदि कोई हो) का निर्धारित प्रारूप पर पृथक–पृथक समूहवार पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या की 60 प्रतियां हिन्दी वर्जन (हार्ड कॉपी) एवं एक प्रति साफ्ट कॉपी (पी०डी०एफ०) में समिति के विचारार्थ दिनांक 25.07.2023 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया समिति (सामान्य) अनुभाग–1 के उक्त पत्र दिनांक 13.07.2023 के साथ संलग्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी प्रश्नों के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या उपलब्ध कराने के साथ ही अपने कार्यालय के विभिन्न संवर्गों में अद्यतन स्थिति के अनुसार संलग्न प्रारूप में पृथक–पृथक समूहवार, पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक

आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धी आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या शासन को प्रत्येक दशा में 03 कार्य दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण की अद्यावदिक स्थिति दिनांक 31.12.2022 की कट–ऑफ डेट के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध करायी जानी है। स्पष्ट किया जाता है कि संलग्न प्रोफार्मा में अंकित कॉलम 08 से 11 में विगत 10 वर्षों में सूचना देने की तिथि तक कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध कराई जानी है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

17/1/23

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्याः समिति-02 (1)/आठ–5–2023, तद्दिनांकः

प्रतिलिपि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–2, 4, 6 एवं 7 को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्यालयों को उक्त निर्देशानुसार सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्वस्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

समिति-02/आठ-5-2023

सं.-1334/आठ-2-23

राम औतार
उप सचिव।

अर्द्धशा०प०सं०-427/03/(अ०जा०)/1991
समिति(सामान्य)अनुभाग-1

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक 13/07/2023

आदरणीय महोदय,

भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(4) के अन्तर्गत नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिन्हे राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हे उपर्युक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजकीय सेवाओं में इनके संरक्षण की व्यवस्था की गई है किन्तु शासनतंत्र की उदासीनता के कारण इसका कार्यान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है, राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व विमुक्त जातियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने, इन वर्गो की दशा को सुधारने एवं शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के उद्देश्यें की पूर्ति हेतु विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों से संबंधी संयुक्त समिति का गठन 29 अगस्त 1974 को किया गया था। उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 269 (ग) से (ड) तक में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत 01 मई 2008 से इस समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली नियत की गई है।

समिति की आन्तरिक कार्य प्रणाली के नियम-8 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत आपके अधीनस्थ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों की समीक्षा एवं विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 03 अगस्त, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-48 में आपका साक्ष्य लिये जाने हेतु बैठक आहूत की गई है।

उक्त बैठक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों की विगत बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2021 को हुये साक्ष्य में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी व साथ ही बैठक में प्रस्तुत विषयों पर साक्ष्य प्रस्तुतीकरण के साथ उनकी समीक्षा अगली बैठक में की जायेगी।

अतः मुझे आपसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि अपने अधीनस्थ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उसके नियंत्राणाधीन समस्त कार्यालयों (यदि कोई हो) का निर्धारित प्रारूप पर पृथक-पृथक समूहवार पदनामवार आरक्षण विषयक आख्या, समूहवार पदों का योग एवं अन्त में महायोग करते हुए समस्त विवरण संलग्न टेबुलर फार्म में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक आरक्षित वर्ग के रिक्त पदों का विवरण, उन्हें न भरने के कारणों सम्बन्धीं आख्या, सीधी भर्ती के पदों में आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों एवं उन्हें न भरने के कारणों सहित आरक्षण आख्या की 60 प्रतियां हिन्दी वर्जन (हार्ड कॉपी) एवं एक प्रति साफ्ट कॉपी (पी0डी0एफ0) में समिति के विचारार्थ दिनांक 25 जुलाई, 2023 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही साथ समिति के निर्देशानुसार निम्नांकित बिन्दुओं का भी अनुपालन कराने का कष्ट करें:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 23 जून, 2006 के अनुसार समिति के उपयोगार्थ सूचना/टिप्पणी चार कार्य दिवस पूर्व अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि समिति के समस्त मा0 सदस्यों को समयानुसार उपलब्ध कराया जा सके।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा के पत्र संख्या-54/11/म0बा0वि0स0/2022 दिनांक 19 जनवरी, 2023 का भी अवलोकन करने कष्ट करें।
3. उक्त आख्या की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग को भी सीधे प्रेषित करें।
4. मा0 सभापति की पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु उक्त साक्ष्य बैठक में आपके सहायतार्थ आने वाले अन्य विभागीय अधिकारियों के नाम (पदनाम सहित) की सूची के साथ कृपया तीन दिन पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. बैठक हेतु निर्धारित स्थान/कक्ष में कृपया निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व उपस्थित होने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

सादर, बैठक साक्ष्य 783421/ACS/H/23
दि0 03/08/2023
स0 3:00 बजे
कक्ष सं-48

भवदीय,
(राम औतार)
उप सचिव।

श्री नितिश रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

VS(A)/आवास-2

कृपया तत्काल
14/07/2023
आवास अनु-5
14/7/2023

14/7/23
(नितिन रमेश गोकर्ण)
अपर मुख्य सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री ...
14/07/23

संख्याः /(1)03/(अ0जा0)/1991 तद्दिनांक

01– प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग को स्वयं अथवा कम से कम उपसचिव स्तर के अधिकारी को सम्बन्धित विभाग/समिति के सहायतार्थ उक्त दिनांक 03 अगस्त, 2023 को यथासमय अपराह्न 03:00 बजे प्रतिभाग सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

(राम औतार)
उप सचिव।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का विभिन्न विभागों/प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों में आरक्षण कोटा पूरा करने सम्बन्धी बिन्दु।		
क0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या विभाग/कार्यालय द्वारा टिप्पणी बैठक से 04 (चार) दिन पूर्व उपलब्ध करायी गयी है?	हॉ/नहीं
2.	कृपया विभाग/कार्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि का संक्षेप में वर्णन करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें। (पढ़ा हुआ माना जायें)
3.	विभाग/कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा प्रदर्शित करते हुए पदों का विवरण दें।	समिति के समक्ष विवरण प्रस्तुत करें।
4.	विभाग/कार्यालय में उक्त जातियों के लिए आरक्षण कब से लागू है? यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
5.	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 जो 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ था, के लागू होने के पश्चात् अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आरक्षित वर्ग की रिक्तियों को भरे जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष भर्ती अभियान चलाया गया? यदि नही, तो क्यों? कृपया समूहवार एवं जनपदवार सूचना संलग्न करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
6.	वर्ष 1994 से विगत चयन वर्ष तक आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु विशेष भर्ती अभियान चलाकर कोटा पूरा करने का कितनी बार प्रयास किया गया, विवरण दें? यदि प्रयास नहीं किया गया तो कृपया कारण बतायें तथा इसके लिये क्या दोषी नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्व पर्याप्त दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हॉ, तो कया? यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
7.	आरक्षण अधिनियम, 1994 लागू होने के पश्चात् से अब तक क्या विभाग/ कार्यालयों के सभी संवगों में भर्ती/प्रोन्नति (वर्ष 2012 तक) रोस्टर बनाकर उसके आधार पर भर्ती की जाती रही है? यदि हॉ, तो उसका विवरण दें। यदि नहीं, तो क्यों?	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
8.	उपर्युक्त आरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार क्या 11 दिसम्बर, 1993 के बाद विभाग में होने वाली प्रत्येक सीधी भर्ती के उपलब्ध/कार्यरत पदों/कार्मिकों का रोस्टर रजिस्टर बनाया गया है? और रोस्टर रजिस्टर बनाकर बनाकर विभाग/कार्यालयों के सभी पदों में रिक्तियों का निर्धारण कर आरक्षण कोटा पूरा किया जा रहा है? यदि हॉ, तो कृपया पदवार रोस्टर रजिस्टर/विवरण संलग्न करें।	समिति के समक्ष रोस्टर रजिस्टर सहित आख्या प्रस्तुत करें।

9.	प्रोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त होने के पश्चात् विभागों/कार्यालयों द्वारा की गयी पदावनतियों तथा उनके विरूद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये प्रत्यावेदनों के नियमानुसार निस्तारण का समूहवार विवरण दिया जाय, यदि प्रत्यावेदन लम्बित है तो उनकी संख्या सहित लम्बित रहने का कारण स्पष्ट किया जाय।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
10.	विभाग के सभी कार्यालयों के सभी संवर्गों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर यदि सीधी भर्ती से चयन किया गया हो तो कृपया चयन वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विमुक्त जातियों के भर्ती किये गए अभ्यार्थियों की नाम सहित श्रेणीवार अलग–अलग संख्या एवं प्रतिशत।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
11.	(सम्बन्धित विभाग) विभाग/कार्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों एवं विमुक्त जाति के उत्थान के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत विगत 05 वर्षो में लाभान्वित हुये लाभार्थियों का योजनावार एवं वर्षवार विवरण संलग्न करें।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
11.	मा0 सभापति की अनुमति से मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की आख्याएं।	समिति के समक्ष आख्या प्रस्तुत करें।
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर		विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के हस्ताक्षर

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षरण की अद्यावधिक स्थिति दिनांक.....तक
विभाग / कार्यालय आदि का नाम.....

पदों का वर्गीकरण (श्रेणी)पदनाम सहित	कुल स्वीकृत पदों की संख्या (निदेशालय एवं जनपदवार कार्यालयों सहित)	अनुसूचित जाति के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की		अनुसूचित जनजाति के कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की		सूचना देने की तिथि तक	विगत 10 वर्षों मे सूचना देने की तिथि तक				आरक्षण पूरा न होने का कारण अधियाचन भेजने की तिथि।
							कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	विमुक्त जाति	अभ्युक्ति
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	कुल रिक्तियों		प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
समूह'क'अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह'ख'अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह'ग'अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
समूह'घ'अलग–अलग पदनाम सहित											
योग											
महायोग											

विभागाध्यक्ष–कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर एवं मुहर

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव के हस्ताक्षर
विभाग का नाम
(पदनाम मुहर सहित)

नोटः– 1. पिछड़ी जातियों के सम्बन्ध में सूचना नहीं देनी है।
2: प्रत्येक समूह के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पद के लिये सूचना स्तम्भदार दी जाती है।
3: समूह 'घ' में स्वीपर्स के पदों को छोड़कर सूचना दी जानी हैं।

मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-2044/पीएसएमएस/2006
दिनांक : 23 जून, 2006

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि उ0प्र0 विधान मण्डल की विभिन्न समितियों में विचारणीय बिन्दुओं पर विभागों द्वारा आख्याएं समय से नहीं भेजी जा रही हैं और इस कारण समितियों को अपने कार्यों के संचालन में असुविधा हो रही है।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में समितियों के समक्ष विचारणीय बिन्दुओं पर आख्याएं कम से कम 4 दिन पूर्व विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय को अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त आदेशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें त्रुटि न हो।

23.06.2006
(नवीन चन्द्र बाजपेई
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

प्रदीप दुबे

अ0शा0 पत्र सं0: 28 / 11 / म0बा0वि0स0 / 2022

कार्यालय : 0522-22133
: 0522-22380
फैक्स : 0522-22382
आवास : 0522-22092

विधान भवन,
लखनऊ

दिनांक 18/01/ 202

आदरणीय महोदय,

मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशों के अधीन मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान सभा की संसदीय समितियों को प्रदेश के अंदर भ्रमण के दौरान उनको अनुमन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त मुझे यह कहने का निदेश भी हुआ है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि संसदीय समितियों को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित समय के अंदर आख्या उपलब्ध न कराए जाने से समितियों के संचालन में असुविधा हो रही है।

अतः अनुरोध है कि इस आशय के निर्देश भी समस्त विभागों को प्रेषित कर दिए जाएं कि संसदीय समितियों द्वारा वांछित आख्या निर्धारित समय के अंदर प्रेषित की जाए, जिससे समितियों के संचालन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो।

सादर,

भवदीय

(प्रदीप दुबे)

श्री दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

o/c

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5

संख्या : 2747/आठ–5–21–85विविध/03

लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2021

उप सचिव,

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–9,

उ0प्र0 शासन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में उ0प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019–20) की बैठक दिनांक 26.07.2021 के कार्यवृत्त (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त कार्यवृत्त के पृष्ठ–4 पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से संबंधित प्रकरण के क्रियाशील अंश निम्नलिखित हैं:–

श्री सभापति– *प्रमुख सचिव साहब, श्री कामता प्रसाद, निवासी म0नं0–3/2, टाइप–4 से0–डी0, सचिवालय कालोनी, जानकीपुरम् को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा रजिस्ट्री के बावजूद आवंटित भूखण्ड पर फ्री–होल्ड व कब्जा न दिए जाने विषयक प्रकरण समिति के समक्ष आया है, इसको आप गम्भीरता से दिखवा लें।*

श्री दीपक कुमार– *मान्यवर, इनको सुनकर मांग–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब इन्हें पैसा जमा करना है। एक बार ये अपनी सहमति दे दें, तो उसे फ्री–होल्ड कर दिया जायेगा।*

श्री सभापति– *जब इनको भूखण्ड आवंटित हुआ था, तो लीज पर नहीं दिया गया था। इसलिए आप संबंधित प्रकरण को गम्भीरता से देख लें।*

श्री दीपक कुमार– *महोदय, जो सूचना एल एल0डी0ए0 ने दी है, उसमें दर्शाया गया है कि यह एम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट महानगर गृह योजन का भूखण्ड है। यह भूमि लीज पर ही दी जाती है। इसके बाद 15 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क अलग से जमा करना पड़ता है। महोदय, इनकी लीज डीड की प्रति भी साथ में लाया हूँ, इन्होंने स्वयं इस पर हस्ताक्षर किया है। अगर आप चाहें, तो इसका अवलोकन कर सकते हैं।*

श्री सभापित– *प्रमुख सचिव साहब, क्या ये भूमि सिर्फ लीज पर ही दी जाती है?*

श्री दीपक कुमार– *महोदय, जब नगर पालिकाएं और विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं थीं, तो उसके पहले इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना था, उसी की यह सम्पत्ति है। जब नगर पालिकाएं/नगर निगम बन गयीं, तो ये उसमें ट्रांसफर हो गयी। तत्पश्चात् जब प्राधिकरण बन गाय, तो उसमें चली गयी।*

श्री मनोज कुमार पारस– *मा0 सभापति जी, श्री कामता प्रसाद जी ने जनपद–लखनऊ की महानगर गृह योजना स्थित भूखण्ड संख्या–सी–896–बी, को ल0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक 14.05.2009 को आवंटित किये जाने के संबंध में 11 बिन्दु का एक पत्र दिया है। इस पत्र को आपके माध्यम से प्रमुख सचिव जी को इस आशय के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि अगली बैठक में इन 11 बिन्दुओं का विवरण लेकर प्रतिभाग करें, तब जाकर यह सुनिश्चित किया जाना संभव होगा कि इसके धारा एवं उपधारा में क्या है?*

श्री सभापति– *प्रमुख सचिव साहब, इन 11 बिन्दुओं का विस्तृत विवरण लेकर अगली बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, जिससे इस पर विस्तृत चर्चा हो सके। इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण को लम्बित रखा जाता है।*

3– मा0 समिति की आगामी बैठक में उक्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति से मा0 समिति को अवगत कराया जाना है। अतः उपर्युक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या :2747(1)/आठ–5–2021, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त प्रकरण के संबंध में अद्यतन स्थिति/कृत कार्यवाही की आख्या शासन को यथाशीघ्रउ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव

VIP-121/आठ-5-2021

राम औतार भारती,
अनु सचिव।

अर्द्धशा० पत्र सं०-336/03/(अ०जा०)/1991
समिति (सामान्य) अनुभाग-1

विधान सभा उत्तर प्रदेश

विधान भवन,
लखनऊ
दिनांक 28./09/2021

आदरणीय महोदय,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति वर्ष (2019-2020) की दिनांक 26 जुलाई, 2021 को अपराह्न 03:00 बजे सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की एक प्रति (*पृष्ठ 01 से 05 तक*) इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप अपने एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिये गये साक्ष्य से सम्बन्धित अंशों की पुष्टि करके पन्द्रह कार्यालय दिवस में इस कार्यालय को मूलरूप में वापस भेजने का कष्ट करें। यदि 15 दिन में पुष्टि होकर कार्यवाही इस कार्यालय को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त कार्यवाही को पुष्टित मान लिया जायेगा।

41396/PS/H/2

VS(MS)/आठ-2

मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि उक्त बैठक में समिति ने जिन बिन्दुओं पर सूचनायें उपलब्ध कराये जाने/कार्यवाही करने की अपेक्षा की है, कृपया उनके सम्बन्ध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही/लिये गये निर्णयों की मुहरयुक्त स्वहस्ताक्षरित 05 प्रतियों में आख्या समिति के विचारार्थ इस सचिवालय को अति शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
28-09

संलग्नक-यथोक्त।

सादर,

12604/VSMS/21
JS(SKS)

भवदीय,

(राम औतार भारती)

29.09.2021
(माला श्रीवास्तव)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।

आवास-5
29/9/2021
30/09/2021

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति की बैठक की कार्यवाही।

दिनाँकः 26 जुलाई, 2021
समय : 03:00 बजे अपराह्न

स्थान :कक्ष सं0-44 'ख'
विधान भवन, लखनऊ

उपस्थिति

1. श्री दिनेश खटीक	सभापति
2. श्रीमती कृष्णा पासवान	सदस्य
3. श्री संत प्रसाद	सदस्य
4. श्री दीनानाथ भाष्कर	सदस्य
5. श्री काली प्रसाद	सदस्य
6. श्री गौरी शंकर	सदस्य
7. श्रीमती सावित्री कठेरिया	सदस्य
8. श्री मनोज कुमार पारस	सदस्य
9. श्री आजाद अरिमर्दन	सदस्य

विधान सभा सचिवालय के अधिकारीगण

1. श्री अशोक कुमार, विशेष सचिव
2. श्री राम औतार भारती, अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधिकारीगण

1. श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव
2. श्री अभिषेक प्रकाश, वीसी/एल.डी.ए./जिलाधिकारी, लखनऊ
3. श्री नीरज शुक्ल, अपर आवास आयुक्त
4. श्री आशीष कुमार, वीसी, गोरखपुर विकास प्रा0
5. श्री ईशा दुहन, वीसी, वाराणसी विकास प्रा0
6. श्री एस0पी0 सिंह, सचिव, कानपुर विकास प्रा0
7. श्री एस0के0 गुप्ता, सचिव, मुरादाबाद विकास प्रा0
8. श्री संतोष राय, सचिव, गा0वि0प्रा0
9. श्री दयानन्द प्रसाद, सचिव, प्रयागराज विकास प्रा0

10. श्री पवन कुमार गंगवार, सचिव, लखनऊ विकास प्रा0
11. श्री रणविजय सिंह, विशेष सचिव, आवास
12. श्री मृदुल चौधरी, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्रा0
13. श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक, वाराणसी विकास प्रा0
14. श्री विजय कुमार संखवार, संयुक्त सचिव, कार्मिक
15. श्री संजय कुमार, अनुसचिव, आवास

1/वीरेन्द्र

बैठक की कार्यवाही श्री दिनेश खटीक, मा0 सभापति के सभापतित्व में प्रारम्भ हुई।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, आपकी तरफ से आख्या हमें बैठक के दिन प्राप्त होती है, जिसके कारण हम सभी सदस्य ठीक से इसका अवलोकन नहीं कर पाते है।

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, आज की बैठक की नोटिस हमें 07 जुलाई, 2021 को प्राप्त हुई थी। चूँकि सूचना हमें कई प्राधिकरणों से एकत्रित करके आपको प्रेषित करनी पड़ती है, जिसके कारण विलम्ब हो जाता है, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते है। महोदय, अगर बैठक की सूचना हमें समय से प्राप्त हो जाए, तो हम एक सप्ताह पूर्व आपको आख्या उपलब्ध करा देंगे।

श्री सभापति- आज की बैठक की सूचना आपको 15 दिन पूर्व दे दी गयी थी।

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन अगर थोड़ा और समय मिल गया होता, तो लिटरेचर और पहले उपलब्ध करा देते। महोदय, हमारा प्रयास रहेगा कि मा0 समिति को लिटरेचर बैठक से 2-3 दिन पूर्व उपलब्ध करा दें, जिससे गुणवत्तापूर्ण चर्चा हो सके।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, लिटरेचर में पूरे प्रकरण सम्मिलित नहीं है। पिछले बैठक के बिन्दु भी शामिल नहीं है। अगर सभी मा0 सदस्यगण सहमत हों तो बैठक फिर कभी रख लें।

श्री मनोज कुमार पारस- मा0 सभापति जी, यह उचित रहेगा।

श्री दीपक कुमार- महोदय, निवेदन करना चाहूँगा कि जो नोटिस हमें भेजी गयी थी, उसमें चार प्रकरण थे और चारों प्रकरण इसमें सम्मिलित है।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, ये बिन्दु इस बार भेजे गये है। पूर्व की बैठक के प्रकरण इसमें सम्मिलित नहीं है।

श्री दीपक कुमार- महोदय, अनुरोध है कि एक बार सूची हमें पुनः उपलब्ध करा दें, तो हम उसको इसमें सम्मिलित कर लेंगे।

श्री सभापति- ठीक है, आपको सूची मिल जायेगी।

कुछ विषय ऐसे होते है, जो पहले से निस्तारित होने लायक होते है, इसलिए हम चाहते है कि आज की बैठक में वह निस्तारित हो जाएं। जो गम्भीर प्रकरण है, उन पर अगली बैठक में चर्चा कर लेंगे। अगर आप सभी मा0 सदस्य के कोई नये प्रस्ताव आए हों, उनको कार्यवाही में शामिल कराना हो, तो आप बता दें।

श्री दीनानाथ भाष्कर- मा0 सभापति जी, यही ठीक है।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, श्री कामता प्रसाद, निवासी म0न0-3/2, टाइप-4, से0-डी0, सचिवालय कालोनी, जानकीपुरम को लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा रजिस्ट्री के बावजूद आवंटित भूखण्ड पर फ्री-होल्ड व कब्जा न दिए जाने विषयक प्रकरण समिति के समक्ष आया है, इसको आप गम्भीरता से दिखवा लें।

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, इनको सुनकर मांग-पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अब इन्हें पैसा जमा करना है। एक बार ये अपनी सहमति दे दें, तो उसे फ्री-होल्ड कर दिया जायेगा।

श्री सभापति- जब इनको भूखण्ड आवंटित हुआ था, तो लीज पर नहीं दिया गया था। इसलिए आप संबंधित प्रकरण को गम्भीरता से देख लें।

श्री दीपक कुमार- महोदय, जो सूचना एल0डी0ए0 ने दी है, उसमें दर्शाया है कि यह एम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट महानगर गृह योजना का भूखण्ड है। यह भूमि लीज पर ही दी जाती है। इसके बाद 15 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अलग से जमा करना पड़ता है। महोदय, इनकी लीज डीड की प्रति भी साथ में लाया हूँ, इन्होंने स्वयं इस पर हस्ताक्षर किया है। अगर आप चाहें, तो इसका अवलोकन कर सकते है।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, क्या ये भूमि सिर्फ लीज पर ही दी जाती है?

श्री दीपक कुमार- महोदय, जब नगर पालिकाएं और विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं थीं, तो उसके पहले इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना था, उसी की यह सम्पत्ति है। जब नगर पालिकाएं/नगर निगम बन गयीं, तो ये उसमें ट्रांसफर हो गयी। तत्पश्चात जब प्राधिकरण बन गया, तो उसमें चली गयी।

श्री मनोज कुमार पारस- मा0 सभापति जी, श्री कामता प्रसाद जी ने जनपद लखनऊ की महानगर गृह योजना स्थित भूखण्ड संख्या-सी-896-बी, को ल0वि0प्रा0 द्वारा दिनांक-14.05.2009 को आवंटित किये जाने के संबंध में 11 बिन्दु का एक पत्र दिया है। इस पत्र को आपके माध्यम से प्रमुख सचिव जी को इस आशय के साथ प्रेषित कर रहा हूँ कि अगली बैठक में इन 11 बिन्दुओं का विवरण लेकर प्रतिभाग करें, तब जाकर यह सुनिश्चित किया जाना संभव होगा कि इसके धारा एवं उपधारा में क्या है?।

श्री सभापति- प्रमुख सचिव साहब, इन 11 बिन्दुओं का विस्तृत विवरण लेकर अगली बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, जिससे इस पर विस्तृत चर्चा हो सके। इसी निर्देश के साथ इस प्रकरण को लम्बित रखा जाता है।

(लम्बित)

श्री सभापति- प्रमुख सचिव जी, कोविड-19 में कुछ लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों की नौकरी लगाने के लिए श्रृषि पाल सिंह, अध्यक्ष, श्री सन्त राम, मेरठ विकास प्राधिकरण कर्मचारी यूनियन का प्रार्थना पत्र है। वह वी0सी0 साहब के पास गया है, मेरे पास एक जी0ओ0 भी है मै आपको दे रहा हूं, इसे दिखवा लीजिएगा।

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, ये 13 जुलाई का है यह हम लोगों ने ही स्पष्टीकरण भेजा है, हम इसे दिखवा लेंगे और स्पष्ट कर देंगे।

श्री सभापति- आप तो स्पष्ट कर देंगे पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए?

श्री दीपक कुमार- माननीय समिति हमें थोड़ा समय दे, हम इसे करवा देंगे।

श्री सभापति- ठीक है, हम इस सम्बन्ध में दूरभाष पर वार्ता कर लेंगे।

श्री दीपक कुमार- मान्यवर, मै माननीय समिति का एवं सभी सदस्यों का बहुत आभारी हूं एवं आपको आश्वस्त करता हूं कि माननीय समिति ने जो अपेक्षायें की है उसको प्रत्येक दशा में हम लोग पूर्ण करेंगे।

श्री सभापति- आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

(तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई)